समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांकः / NSS / 1064

दिनांकः– ~~16 / 01 / 2019~~ 26/01/2019

:: प्रथम–स्मरण पत्र ::

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक
दे.अ.वि.वि., इन्दौर से सम्बंद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय / संस्थान
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई का शुल्क जमा कराने सम्बंधी।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमांक / एन.एस.एस. / 860, दिनांक 19.06.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बंद्ध सभी अशासकीय महाविद्यालयो जिनमें कुल छात्र संख्या 200 से अधिक है की सम्बद्धता / नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करने की शर्त का उल्लेख किया गया है। स्वपोषित इकाई के लिए आवश्यक शुल्क (संस्था के कुल छात्र संख्या X 120) जमा नही किया है, यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ संस्थाओं ने रा.से.यो. की फीस सभी छात्र / छात्राओं से ली है, लेकिन विश्वविद्यालय में केवल राशि 48000 / – रूपये जमा किया है, अतः ऐसी सभी संस्थाऐं अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वपोषित मद में ली गई समस्त फीस विश्वविद्यालय के रा.से.यो. प्रकोष्ठ में खाता कमांक 34026666661 आई.एफ.एस.सी. SBIN00300127 में स्थानान्तरित करें या समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर के नाम ड्राफ्ट / चेक से जमा करें।

इस संदर्भ में आपको समय–समय पर पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के उपर्युक्त मन्तव्य के प्रति कतिपय महाविद्यालयों में गम्भीर अभिरूचि नहीं दिखाई दे रही है। अतएव ऐसे महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा उनकी सम्बद्धता का नवीनीकरण करने के प्रकरण में विश्वविद्यालय को विवश होकर पुनर्विचार करना पड़ सकता है तथा परिणाम स्वरूप महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थगित की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। अतः स्वपोषित इकाई का नियमानुसार शुल्क जमा करें।

संलग्न :– स्वपोषित इकाई के लिए आवेदन पत्र प्रारूप।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
(1) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, रासेयो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) क्षेत्रीय निदेशक युवा एवम् कार्यकम खेल मंत्रालय, रासेयो भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ तथा सम्बद्धता / नवीनीकरण करते समय आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) निज सचिव, मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(5) निज सहायक, कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(6) विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर इन्दौर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कार्यकम समन्वयक रासेयो
देवी अहिल्या व.वि., इन्दौर

समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांकः / NSS / 1064

दिनांकः– ~~16 / 01 / 2019~~ 26/01/2019

:: प्रथम–स्मरण पत्र ::

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक
दे.अ.वि.वि., इन्दौर से सम्बंद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय / संस्थान
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई का शुल्क जमा कराने सम्बंधी।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमांक / एन.एस.एस. / 860, दिनांक 19.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बंद्ध सभी अशासकीय महाविद्यालयो जिनमें कुल छात्र संख्या 200 से अधिक है की सम्बद्धता / नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करने की शर्त का उल्लेख किया गया है। स्वपोषित इकाई के लिए आवश्यक शुल्क (संस्था के कुल छात्र संख्या X 120) जमा नही किया है, यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ संस्थाओं ने रा.से.यो. की फीस सभी छात्र / छात्राओं से ली है, लेकिन विश्वविद्यालय में केवल राशि 48000 / – रूपये जमा किया है, अतः ऐसी सभी संस्थाऐं अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वपोषित मद में ली गई समस्त फीस विश्वविद्यालय के रा.से.यो. प्रकोष्ठ में खाता कमांक 34026666661 आई.एफ.एस.सी. SBIN00300127 में स्थानान्तरित करें या समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर के नाम ड्राफ्ट / चेक से जमा करें।

इस संदर्भ में आपको समय–समय पर पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के उपर्युक्त मन्तव्य के प्रति कतिपय महाविद्यालयों में गम्भीर अभिरूचि नहीं दिखाई दे रही है। अतएव ऐसे महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा उनकी सम्बद्धता का नवीनीकरण करने के प्रकरण में विश्वविद्यालय को विवश होकर पुनर्विचार करना पड़ सकता है तथा परिणाम स्वरूप महाविद्यालय की सम्बद्धता स्थगित की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। अतः स्वपोषित इकाई का नियमानुसार शुल्क जमा करें।

संलग्न :– स्वपोषित इकाई के लिए आवेदन पत्र प्रारूप।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
(1) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, रासेयो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) क्षेत्रीय निदेशक युवा एवम् कार्यकम खेल मंत्रालय, रासेयो भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ तथा सम्बद्धता / नवीनीकरण करते समय आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) निज सचिव, मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(5) निज सहायक, कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
(6) विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर इन्दौर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कार्यक्रम समन्वयक रासेयो
देवी अहिल्या व.वि., इन्दौर